न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड RAS

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 55/2019 दायर तारीख :– 12.07.19

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक

—: प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल वर्मा पुत्र रामलाल जाति बलाई नि0 जय भवानीपुरा पो0 निमेड़ा तह0 जयपुर
2. अखेराम पुत्र बंशीधर जाति जाट नि0 बालमुकन्दपुरा नाडा ठिकरिया तह0 सांगानेर जिला जयपुर राज0
3. गोरधनी पत्नि सूरजमल
4. गीतादेवी पत्नि बोदूराम
5. लक्ष्मीदेवी पत्नि मंगलचन्द
   समस्त जाति रैगर नि0 प्रतापपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
6. कौशल्यादेवी पत्नि अनन्तकुमार चौधरी जाति जाट नि0 महेशवास तह0 फुलेरा
7. हनुमान पुत्र बींजा जाति कुमावत
8. मांगीलाल पुत्र बींजा जाति कुमावत
   समस्त नि0 हिरनोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
9. प्रहलाद पुत्र भोलूराम जाति जाट
10. रामजीलाल पुत्र भोलूराम जाति जाट
    समस्त नि0 बंधे बालाजी महेशवास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

—— *अप्रार्थीगण*

<u>किस्म परिवर्तन किये जाने रास्ता</u>

<u>अन्तर्गत धारा 131 व 132 एल0आर0ऐ0</u>

उपस्थित :– राज पेरोकार प्रार्थी
श्री सुरेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 6
श्री हेमराज कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 7 व 8

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 29/7/2019

1. तहसीलदार फुलेरा ने एक आवेदन किस्म परिवर्तन किये जाने रास्ता अन्तर्गत धारा 131 व 132 एल0आर0ऐ0 का पेश किया कि आराजी खं0नं0 517/25 रकबा 7 बीघा वाकै ग्राम महेशवास गापोल वर्मा की व खं0नं0 354 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खं0नं0 355 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा वाकै ग्राम महेशवास अखेमाराम की एवं खं0नं0 356 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाकै महेशवास गोरधनी, गीतादेवी, लक्ष्मीदेवी की एवं खं0नं0 933/357 रकबा 3 बिस्वा, खं0नं0 935/358 रकबा 4 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 7 बिस्वा वाकै महेशवास कौशल्यादेवी हनुमान, मांगीलाल की एवं खं0नं0 353 रकबा 3 बीघा वाकै महेशवास प्रहलाद, रामजीलाल की खातेदारी में चालू जमाबन्दी राजस्व रिकोर्ड में अंकित है। मौके पर खं0नं0 517/25 में 6 बिस्वा, खं0नं0 354 में 3 बिस्वा, खं0नं0 355 में 4 बिस्वा, खं0नं0 356 में 4 बिस्वा, खं0नं0 933/357 में 3 बिस्वा, खं0नं0 935/358 में 4 बिस्वा, खं0नं0 353 में 5 बिस्वा मौके पर गै0मु0 रास्ता है जो चालू है व ग्रेवल रोड़ बनी हुयी है किन्तु उक्त रास्तें का राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं है एवं राजस्व

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

रिकोर्ड जमाबन्दीयों में रास्तें का अंकन नहीं है। इस बाबत् उपरोक्त खसरा नम्बरान में वर्णित रास्तें का मौके अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम कराने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रंमाक प–3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.16 के अनुसरण में मौके पर चालू रास्तें को राजस्व अभिलेख में अंकन कराने एवं राजस्व नक्शें में तरमीम कराने बाबत् पटवारी हल्का से प्रस्ताव तैयार कराकर श्रीमान् की सेवामें पेश है मौके पर रास्ता पटवारी रिपोर्ट के अनुसार 30 फुट चौड़ा है जो सेटलमेन्ट से पूर्व का है। अतः प्रस्ताव अनुसार उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में मौके पर चालू रास्तें का राजस्व नक्शें एवं राजस्व रिकोर्ड में तरमीम/दर्ज हेतु श्रीमान् की सेवामें राज्य सरकार के परिपत्र 10.08.16 के अनुसार यह आवेदन पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत श्रीमान की सेवामें पेश है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 7 व 8 की ओर से वकील श्री हेमराज कुमावत ने वकालतनामा व जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि खं0नं0 933/357 रकबा 3 विस्वा, खं0नं0 935/358 रकबा 4 विस्वा किता 2 कुल रकबा 7 विस्वा वाकै ग्राम महेशवास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें अप्रार्थी सं0 6 लगा0 8 का संयुक्त रूप से हिस्सा है। रास्ता वर्तमान में चालू है। पटवारी हल्का ने जो नक्शा मौका रिपोर्ट बनायी है अप्रार्थीगण की उपस्थिति में नहीं बनायी गई है पटवारी ने यह भी अंकन गलत किया है उक्त रास्ता सेटलमेन्ट के पूर्व से चालू था बल्कि मात्र 3 वर्ष पूर्व कच्चा रास्ता था ओर दोनों तरफ डोल लगी हुयी थी। उक्त रास्तें में खं0नं0 933/357 रकबा 3 विस्वा में अप्रार्थी सं0 7 व 8 रास्तें में जमीन देने के लिए सहमत है जिसमें किसी प्रकार की आपति नहीं है परन्तु खं0नं0 935/358 अप्रार्थी सं0 6 लगा0 8 स्वंय अपनी आराजीयात में जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है इसलिए उसको आम रास्तें में तरमीम नहीं किया जावें। आराजी खं0नं0 935/358 रकबा 4 विस्वा व खं0नं0 933/357 रकबा 3 विस्वा अप्रार्थी सं0 6 लगा0 8 की है उक्त रास्तें में खं0नं0 933/357 रकबा 3 विस्वा में अप्रार्थी सं0 7 व 8 रास्तें में जमीन देने के लिए सहमत है जिसमें किसी प्रकार की आपति नहीं है परन्तु खं0नं0 935/358 अप्रार्थी सं0 6 लगा0 8 स्वंय अपनी आराजीयात में जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। अप्रार्थी सं0 6 की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 1, 2 ने उपस्थित होकर सहमति पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा मिल बैठकर आपसी रूप से सहमति की है कि यदि उक्त रास्तें में खं0नं0 353, 354, 355, 356, 517/25, 933/357 रकबा में अप्रार्थी सं0 1 व 2 रास्तें में जमीन देने में सहमति है जिसमें किसी प्रकार की अप्रार्थी सं0 1 व 2 को कोई आपति नहीं है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं0 6 लगा0 8 ने रास्तें से सम्बन्धित सहमति प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 6 लगा0 8 द्वारा मिल बैठकर आपसी रूप से सहमति की है कि यदि उक्त रास्तें में खं0नं0 933/357 रकबा 3 विस्वा में अप्रार्थी सं0 7 व 8 रास्तें में जमीन देने के लिए सहमत है जिसमें किसी प्रकार की कोई आपति नहीं है। अप्रार्थी सं0 3 लगा0 5, 9 लगा0 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

3. प्रार्थी ने राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रंमाक प–3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.16 की प्रति पेश की जिसमें अंकित है कि सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थायी रूप से चालू परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी भी रूप में दर्ज नहीं। कई जगह कच्ची या पक्की सड़क भी बन गयी है। जिसका समाधान इस प्रकार है कि राज्य में

उप खण्ड अधिकारी
सौंमर लेव.

Scanned by CamScanner

अनेक स्थायी रास्तें राजकीय और/निजी भूमियों में से चालू है किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है। स्थायी सार्वजनिक रास्तें वे है जो बारहमासी है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नही तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 के प्रावधानानुसार किया जावेगा। तहसीलदार रास्तें के अंकन हेतु प्रा0पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेगे जो उस पर आदेश देगें। उपखण्ड अधिकारी के आदेश के आधार पर नामान्तकरण के जरिये रास्तों का अंकन लाल स्याही से किया जायेगा। प्रा0पत्रो की बहुलताजन्य जटिलता निवारण हेतु यह उचित रहेगा कि एक गांव हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जावें। राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में ख0न0 सहित दर्ज किया जायेगा। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शें मे व जमाबन्दी में पृथक से खं0नं0 दिया जाएगा व रास्तें के रकबें सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी।

4. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 वाकै ग्राम महेशवास, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रंमाक प–3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.16 के अनुसरण में गै0मु0 रास्तें का प्रस्ताव तथा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प–3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.16 की छाया प्रति पेश किया है।

5. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र के तथ्यों को दौहरातें हुए कथन किया कि खं0नं0 353, 354, 355, 356, 517/25, 933/357, 935/358 वाकै ग्राम महेशवास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो मौके पर गै0मु0 रास्ता है जो चालू है व ग्रेवल रोड़ बनी हुयी है किन्तु उक्त रास्तें का राजस्व नक्शें में तरमीम नहीं है एवं राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दीयों में रास्तें का अंकन नहीं है। मौके पर रास्ता पटवारी रिपोर्ट के अनुसार 30 फुट चौड़ा है जो सेटलमेन्ट से पूर्व का है तथा प्रार्थी ने परिपत्र क्रंमाक प–3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.16 के तथ्यों का उल्लेख करते हुए निवेदन किया कि निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शें में व जमाबन्दी में पृथक से खं0नं0 दिया जाएगा व रास्तें के रकबें सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी। इस प्रकार मौके अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम एवं रास्तें की भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं0 1, 2, 6 लगा0 8 ने उक्त सहमति प्रकट करते हुए रास्ता दिये जाने में कोई आपति प्रकट नहीं की है।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। उपरोक्त वर्णित रास्ता जो कि खातेदारों के सह खातेदारी में दर्ज है उक्त रास्ता काश्तकारो के द्वारा अपनी जोत में पहुचनें के लिये उपयोग में किया जा रहा है जो बारहमासी रास्ता है तथा अप्रार्थी सं0 1, 2, 6 लगा0 8 ने उक्त सहमति प्रकट करते हुए रास्ता दिये जाने मे कोई आपति प्रकट नही की है तथा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमाक प–3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.16 मे दिये निर्देशों के अनुसार प्रा0पत्र मे वर्णित रास्ता को जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारों की खातेदारी रखते हुए खं0नं0 353 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा में से रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 354 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा मे से रकबा 3 बिस्वा, खं0नं0 355 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा मे से रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 356 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा मे से रकबा 4 बिस्वा, खं0नं0 517/25 रकबा 7 बीघा में से रकबा 6 बिस्वा, खं0नं0 933/357 रकबा 3 बिस्वा मे से रकबा 3

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

विस्वा कुल रकबा 1 बीघा 5 विस्वा गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जाना उचित पाया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः तहसीलदार फुलेरा का प्रार्थना पत्र एल0आर0ऐ0 1956 धारा 131, 132 स्वीकार किया जाता है तथा वाकै ग्राम महेशवास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 की आराजी खं0नं0 353 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा में से रकबा 5 विस्वा, खं0नं0 354 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा मे से रकबा 3 विस्वा, खं0नं0 355 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा मे से रकबा 4 विस्वा, खं0नं0 356 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा में से रकबा 4 विस्वा, खं0नं0 517/25 रकबा 7 बीघा में से रकबा 6 विस्वा, खं0नं0 933/357 रकबा 3 विस्वा में से रकबा 3 विस्वा कुल रकबा 1 बीघा 5 विस्वा को आमजन एवं कृषकगणों के उपयोग हेतु जमाबन्दी में दर्ज सह खातेदारी में ही रखते हुए गै0मु0 रास्ता दर्ज कर उसी अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। इस बाबत तहसीलदार फुलेरा को तहरीर जारी हो। तहसीलदार फुलेरा को पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करने हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/7/19 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक
साभरलेक